

बिहार सरकार
अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग
सं0सं0-4 / निदे0आ0वि0संधा0(वे0आ0)-46-02 / 2025- 98

प्रेषक,

निदेशक।

सेवा में,

संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी,
(संलग्न विवरणी के अनुसार)

पटना, दिनांक- 29.01.2026

विषय:-वित्तीय वर्ष 2025-26 में द्वितीय अनुपूरक आगणन के तहत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालयों में सृजित स्थायी पदों के संधारणार्थ वेतनादि एवं अन्य मदों में संलग्न विवरणी के अनुसार कुल ₹14,04,14,158/- (चौदह करोड़ चार लाख चौदह हजार एक सौ अनठावन रू0) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में द्वितीय अनुपूरक के तहत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालयों में सृजित स्थायी पदों के संधारणार्थ वेतनादि एवं अन्य मदों में संलग्न विवरणी के अनुसार कुल ₹14,04,14,158/- (चौदह करोड़ चार लाख चौदह हजार एक सौ अनठावन रू0) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

2-कुल भारत व्यय की राशि वित्तीय वर्ष 2025-26 में आय व्यय शीर्ष माँग सं0-44-2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यको का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-277-शिक्षा-0003-आवासीय विद्यालय-विषय शीर्ष-0003.01.01-वेतन मद, 0003.01.03-जीवन यापन भत्ता, 0003.01.04-मकान किराया भत्ता, 0003.11.01-यात्रा व्यय, 0003.13.01- कार्यालय व्यय, 0003.13.04-विद्युत प्रभार, 0003.14.01-किराया महसूल एवं कर, 0003.21.01-सामग्री एवं पूर्तियाँ तथा 0003.28.02-संविदा सेवाएँ विपत्र कोड सं0-44-2225012770003 के उचित इकाई के अन्तर्गत विकलनीय है।

3-इस आवंटित राशि का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी होंगे। संबंधित जिला के उप विकास आयुक्त इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

4-वित्त विभाग के पत्र सं0-2561, दिनांक-17.04.1998 तथा समय समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत पत्रों एवं परिपत्रों के आलोक में निकासी एवं व्यय किया जायेगा।

5-संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार व्यय के लेखा का मिलान महालेखाकार द्वारा संधारित लेखा के साथ करेंगे।

6-संबंधित राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए किया जाएगा।

7-आवंटनादेश में निहित निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का दायित्व संबंधित जिला के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।

8- इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार को दी जा रही है।

9- कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।।

विश्वसभाजन,

निदेशक।

8

ज्ञापांक-4 / निदे0आ0वि0संधा0(वे0आ0)-46-02 / 2025- 298 पटना, दिनांक-29.01.2026

प्रतिलिपि:-संलग्न विवरणी के साथ महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना/वित्त विभाग, बजट शाखा, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी/अपर सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी, अनु0 जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग, बिहार/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उप विकास आयुक्त/संबंधित प्रमंडलीय उप निदेशक कल्याण/सांख्यिकी कोषांग, बजट शाखा/आई0टी0 मैनेजर, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आव यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक।

द्वितीय अनुसूचक आगमन के तहत वर्ष 2025-26 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत अग्रो जाति के आवासीय विद्यालयों में सृजित स्थायी पदों के संभारणार्थ केंतनादि एवं अन्य पदों में आवंटित राशि की विवरणी
(राशि रु० में)
2225012770003

| क्र० सं० | विला | केंतन (01.01) | जीवन यापन मरता (01.03) | मकान किराया मरता (01.04) | कुल केंतनादि (क्रमिक 3 से 5 तक का योग) | यात्रा व्यय (11.01) | कार्यालय व्यय (13.01) | विद्युत प्रभार (13.04) | किराया महसूल एवं कर (14.01) | सामग्री एवं पूर्तिर्ष (21.01) | संविदा केंतन (28.02) | कुल आवंटित राशि (क्रमिक 6 से 12 तक का योग) |
|----------|-------------|---------------|------------------------|--------------------------|--|---------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|--|
| 1 | रचना | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 440000 | 0 | 0 | 5000000 | 0 | 5840000 |
| 2 | नारदा | 90000 | 0 | 0 | 90000 | 150000 | 30000 | 0 | 437505 | 5000000 | 55867 | 5763372 |
| 3 | चौबुतर | 428515 | 0 | 0 | 428515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 218000 | 3646515 |
| 4 | बबर | 57569 | 0 | 0 | 57569 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 242569 |
| 5 | रोहतास | 150225 | 0 | 0 | 150225 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 10000000 | 1100000 | 11300225 |
| 6 | भरुवा | 172000 | 0 | 0 | 172000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 372000 |
| 7 | गया | 270000 | 0 | 0 | 270000 | 1000000 | 0 | 1500000 | 0 | 10000000 | 0 | 12770000 |
| 8 | जहाँनाद | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 800000 | 1800000 |
| 9 | अरतल | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 200000 | 2310000 |
| 10 | नरदा | 589000 | 0 | 0 | 589000 | 50000 | 0 | 1200000 | 0 | 2000000 | 0 | 26939000 |
| 11 | ओरनाद | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25100000 | 0 | 610000 |
| 12 | शु० चम्पारन | 1402 | 0 | 0 | 1402 | 300000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351402 |
| 13 | शु० चम्पारन | 7530 | 0 | 0 | 7530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 2007530 |
| 14 | श्रीपुर | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 5000000 | 0 | 5100000 |
| 15 | शिवर | 160000 | 30000 | 10000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 1026096 | 1000000 | 0 | 2226096 |
| 16 | श्रीमदौ | 67507 | 0 | 0 | 67507 | 0 | 45000 | 700000 | 0 | 1000000 | 0 | 1812507 |
| 17 | मुत्तकपुर | 297000 | 0 | 0 | 297000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 7500000 | 500000 | 8597000 |
| 18 | शूरपुर | 219034 | 0 | 0 | 219034 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319034 |
| 19 | शेखपुरा | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 160000 | 0 | 0 | 810000 | 2100000 | 0 | 2263000 |
| 20 | श्रीशिला | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811500 |
| 21 | शु० | 110000 | 0 | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 |
| 22 | लखीसराय | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 250000 | 3250000 |
| 23 | चम्प | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 2190591 | 77326 | 2267917 |
| 24 | कटिहार | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 |
| 25 | अररिया | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 |
| 26 | पूर्णा | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108000 |
| 27 | फिरोजपुर | 8000 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 310000 |
| 28 | सुपौल | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364658 |
| 29 | सुरसारा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364658 | 0 | 0 | 0 | 5722855 |
| 30 | मधुपुर | 0 | 0 | 0 | 0 | 115000 | 0 | 807855 | 0 | 0 | 0 | 80000 |
| 31 | मधुबनी | 80000 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000000 | 400000 | 20695000 |
| 32 | समस्तीपुर | 95000 | 0 | 0 | 95000 | 150000 | 50000 | 0 | 639512 | 2000000 | 500000 | 3222192 |
| 33 | दरभंगा | 82680 | 0 | 0 | 82680 | 0 | 0 | 0 | 3150000 | 0 | 0 | 3250000 |
| 34 | साल्वा | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 240000 |
| 35 | सिवांग | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 3410000 |
| 36 | गोंदा | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 10000 | 0 | 100000 | 2500000 | 155805 | 1915786 |
| 37 | भागलपुर | 99981 | 0 | 0 | 99981 | 0 | 60000 | 0 | 100000 | 1500000 | 0 | 86000 |
| 38 | कुल योग | 3565943 | 30000 | 10000 | 3605943 | 800000 | 735000 | 4672513 | 6163113 | 114390591 | 7676998 | 140414158 |

कुल राशि (बीदर करोड़ चार लाख बीदर हजार एक सौ अठारह हजार) मात्र

पत्रांक- 298 दिनांक- 29.01.2026 का अनुसूचक

निदेशिका